# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या 864/2009/जयपुर**

सहायक आयुक्त
विशेष वृत–II, राजस्थान, जयपुर। अपीलार्थी

**बनाम**

मैसर्स स्टर लाईट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड,
बजाज नगर, जयपुर। प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री दिनेश कुमार
अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

**निर्णय दिनांक 25.07.2017**

## निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 170/आरएसटी/ए/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत–II ,राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 37 के अन्तर्गत पारित आदेश में टर्नओवर टैक्स पर अधिभार आरोपित किया है, को अपास्त किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि 2003–04 की अवधि का कर निर्धारण दिनांक 24.01.2006 को पारित करते हुए टर्नओवर टैक्स रू. 1,77,963/–पर अधिभार रू. 26,694/–आरोपित किया है। उक्त कर निर्धारण आदेश में टर्नओवर टैक्स पर अधिभार आरोपित किये जाने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत टर्नओवर टैक्स पर आरोपित अधिभार का अपास्त कर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2006 को संशोधित करने का निवेदन किये जाने पर उन्होंने संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर आदेश दिनांक 29.11.2006 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2006 एवं 29.11.2006 से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने टर्नओवर टैक्स पर आरोपित अधिभार अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2008 पारित किया है, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 24.01.2006 एवं 29.11.2006 का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को अविधिक बताते हुए उसे अपास्त करने का निवेदन किया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं कर बोर्ड द्वारा इसी बिन्दु पर दिये गये विभिन्न निर्णयों को उद्धृत करते हुए टर्नओवर टैक्स पर आरोपित अधिभार को अपास्त किया गया है, इसलिए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 222/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–कोटा बनाम मैसर्स इन्सट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (37 टैक्स अपडेट 286) में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2013 को उद्धृत कर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बहस के दौरान एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 222/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–कोटा बनाम मैसर्स इन्सट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (37 टैक्स अपडेट 286) में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2013 का ससम्मान अध्ययन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु निर्णय हेतु यह विवादित है कि क्या टर्नओवर टैक्स पर अधिभार आरोपित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 222/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–कोटा बनाम मैसर्स इन्सट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (37 टैक्स अपडेट 286) में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2013 में यही बिन्दु विवादित था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त उद्धृत प्रकरण में टर्नओवर टैक्स पर अधिभार आरोपित किये जाने को अनुचित ठहराते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत रिवीजन को खारिज किया है। हस्तगत प्रकरण के तथ्य उक्त उद्धृत निर्णय के तथ्यों से पूरी तरह मेल खाते है, अतः हस्तगत प्रकरण उससे पूर्णतया आच्छादित होने से विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य